नोट
2
1

28/3/25

पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 CPC अंतर्गत प्रस्तुत। वकील प्रार्थी की बहस। दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय यह पाता है कि अप्रार्थीगण की सम्यक तामिल है। वकील अप्रार्थी को बहस हेतु न्यायालय समक्ष में आवाज लगवाई गई। बावजूद वकील अप्रार्थी बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए, ऐसे में वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर वकील प्रार्थी की बहस। दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

मुकदमा बनाम रामसन कौर

न्यायालय जयपुर शहर प्रथम

मुकदमा क्रमांक 1/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि
28/3/23	अधिवक्ता व विपक्ष व सम्पत्ति धारा 151 सी.पी.सी. अन्तर्गत विवादग्रस्त है। अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 09 नियम 09 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के अन्तर्गत में स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी द्वारा जवाब के साथ दावा प्रतिदावा पेश कर सकते हैं। प्रतिवादी मूल पक्ष के हस्ताक्षर हैं। दिनांक आज दिनांक 28/3/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

रामनाथ कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम